MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION NOTIFICATIONS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI D. ERLNG): Sir, I beg to lay on the Table:—

(a) a copy each of the following Notifications of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food): —

(i) Notification G.S.R. No. 187, dated the 7th Feb ruary, 1967, publishing the Rice-Milling Industry (Regulation and Licen sing) Amendment Rules, 1967, under sub-section (4) of section 22 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958. [Placed in Library, *See* No. LT-28/67.]

(ii) Notification G.S.R. No. 297, dated th$_e$ 3rd March, 1967 publishing the Food Corporation (Tenth Amendment) Rules, 1967 under sub-section (3) of section 44 of the Food Corporations Act, 1954. [Placed in Library, *See* No. LT-107|67.]

(iii) A copy each of four Notifications, under subsection (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [Placed in Library, *See* No. LT-107|67).

(b) a copy of the Ministry of Food, Agriculture, Communi ty Development and Co operation (Department of Agriculture) Notification S.O. No. 3882, dated the 15th December, 1966, issued under 4 of the Agricultural Produce Cess Act, 1940. [Placed in Library, *Se$_e$* No. LT-32/ **67.1**

ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (1965-66) OF THE CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION, NEW DELHI AND RELATED-PAPERS

SHRI D. ERING: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Annual Report and Accounts of the Central Warehousing Corporation, New Delhi, for the year 1965-66, together with the Auditors' Report on the Accounts, under sub-section (11) of section 31 of the Warehousing Corporations Act, 1962. [Placed in Library, *See* No. LT-27/67.]

REVIEW OF THE FOOD AND SCARCITY SITUATION IN INDIA

SHRI D. ERLNG: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Review of the Food and Scarcity Situation, in India. (Placed in Library, *See* No. LT-98|67.]

ANNUAL REPORT (1965-66) OF THE KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION, BOMBAY

THE DEPUTY MINISTER IN THB MINISTRY OF COMMERCE (SHRI M. SHAFI QURESHI): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the khadi and Villags Industdies Commission, Bombay, for tht year 1965-66, under sub-section (3) Of section 24 of the Khadi and Village Industries Commission Ac:, 1956. [Placed in Library, See No. LT-117/67.]

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN FOR THE YEAR 1966-67.

MR. CHAIRMAN: Shri Morarji Desai.

श्री गोडे मराहरि (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मुझे आपत्ति है कि ये पेपर्स यहां सदन की मेंज पर रखे जायें; क्योंकि पिछले हफ्ते यहां पर बहस हुई थी और यह करीब करीब तय था कि जब तक इस सदन की इजाजत नहीं मिलती है और प्रेसीडेंट का जो प्रोक्लेमेशन राजस्थान के बारे में है, उस पर बहस

नहीं हो जाता तब तक इस तरह का कोई चीज सामने नहीं आ सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस बजट को यहां पर रखने की इजाजत न दें जब तक कि हमारे सदन में इस बारे में बहस न हो जाय।

MR. CHAIRMAN: I am afraid I have to see according to the conditions as they exist. The Proclamation is valid at this time. Whatever we are doing is consequential.

श्री गोडे मुराहरि : जब तक सदन द्वारा इस प्रोक्लेमेशन के बारे में एप्रुवल न हो जाय, तब तक बजट को नहीं रखा जा सकता है। अगर सेशन समाप्त हो जाता है, तो प्रोक्लेमेशन चालू रहता। लेकिन सदन यहां पर चालू है और उसको चालू हुए एक हफ्ता हो गया है और फिर भी सरकार यहां पर आकर इजाजत नहीं लेती है।

MR. CHAIRMAN: This matter has been discussed and the Resolution has come for the revocation of the Proclamation. When that is decided we will see.

श्री गोडे मुराहरि : इसलिये मैं चाहता हूं कि जब तक बहस न हो, इस सदन का एप्रुवल न मिले तब तक बजट को यहां पर रखने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

MR. CHAIRMAN: I have allowed it to be laid.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मेरी बात भी इसी से ताल्लुक रखती है। जब सदन तीन दिन के लिये उठा था, तो इस मामले पर आधा घंटा डिसकशन हो चुका था। आप देखेंगे कि आपकी ही इजाजत से एक रेजोल्यूशन दिया गया था और हम लोगों का एक रेजोल्यूशन हुआ।

श्री सभापति : मैंने वादा किया है कि मैं देखूंगा।

श्री राजनारायण : जब आपने हमारे रेजोल्यूशन को एडमिट कर लिया है।

श्री सभापति : नहीं, मैंने एडमिट नहीं किया है।

श्री राजनारायण : आप कह रहे हैं कि एडमिट कर लिया है।

श्री सभापति : अगर एडमिट कर लिया है तो उसके लिए टाइम रखना होगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्यप्रदेश) : रेजोल्यूशन एडमिट कर लिया है, मगर टाइम नहीं रखा है।

MR. CHAIRMAN: We are having our Business Advisory Committee meeting. We will discuss it and see how that is disposed of.

श्री राजनारायण : हमारी एक जैनुइन रिक्वेस्ट है, उसको सुन लिया जाये और वह यह है कि इस रेजोल्यूशन को एडमिट करने का महत्व ही क्या है, इसको एडमिट करने का महत्व ही शून्य हो जायेगा, अगर श्री मोरारजी द्वारा पटल पर रखे पूरक अनुदान पर चर्चा हो जाये और उसके बारे में सदन की एक राय हो जाये। फिर इस रेजोल्यूशन का सिगनिफिकेन्स क्या रह जाता है, जिसके जरिये सदन चाहता है कि राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन को रिवोक किया जाये। यह जो राजस्थान के बारे में आर्डिनेंस है वह महत्व का है और इसीलिए आपसे अर्ज है कि आपने जब इसकी इम्पोर्टेन्स को देखकर इसको एडमिट किया है, तो महज दिन निश्चित करने की बात रह जाती है। इसलिए ऐसा कोई दिन निश्चित कर दें और उसके बाद इस चीज को लिया जाये।

श्री सभापति : इसको पास हो जाने दीजिये और मेरे खयाल में कोई हर्ज नहीं होगा। जब कोई रेजोल्यूशन पास हो जायेगा, तो उसके जो कान्सिक्वेन्सेज हैं, वे पूरे हो जायेंगे।

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): It is contradictory.

SHRI P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh): We have all signed the Resolution. That Resolution has been admitted. The Resolution should be discussed first before the Budget is taken up for consideration.

MR. CHAIRMAN: In the first place, this is not the Rajasthan Budget. The Rajasthan Budget will be placed there and then it will be placed here. The next item i will not put before you now. I will put it after 1.30. Mr. Morarji Desai.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): Mr. Chairman, I thought you had just advised us to place these papers after 1.30.

MR. CHAIRMAN: You can do it at 1.30.

STATEMENT BY MINISTER *RE.* DISPUTE BETWEEN THE MANAGEMENT AND THE EMPLOYEES OF "THE TIMES OF INDIA" AT BOMBAY AND DELHI

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI L. N. MISRA): Sir, on the 23rd March, 1967, the Minister of Labour and Rehabilitation had made a statement in the House about the dispute between the management and the employees of the Times of India at Bombay and Delhi. He had then stated that negotiaions between the two sides were in progress and he hoped that they would reach an amicable settlement.

I am happy now to state that as a result of further discussions and negotiations between the two sides, a settlement has been reached. The strike has been withdrawn and the lock out lifted and normal work at Bombay and Delhi has been resumed. The papers are likely to commence oublication from tomorrow.

RE A POINT OF PRIVILEGE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मुझे एक अर्ज करना है । एक तो हमने यह श्रीमती स्वेतलाना के संबंध में श्री चागला जी पर विशेषाधिकार का सवाल उठाया था, जिसके बारे में . . .

श्री सभापति : आप मुझ से कह चुके हैं और मैं जानता हूं कि आपने रेजोल्यूशन भेजा है प्रिविलेज का और उसको मैंने मिनिस्टर साहब के पास भेज दिया है। उन्होंने उसके बारे मुझे पूरी मुफस्सल भेजी है ।

I am satisfied that he has not misled the House and, therefore, I have not allowed the privilege motion. I have withheld it.

इसके बाद अगर आपको कुछ इन्फारमेशन कहनी है, तो कह दीजिये और मिनिस्टर साहब को इत्तिला दे दीजिये और उसके बाद कार्यवाही होगी ।

You have written to me, I understand, but I have not read the letter yet. I will pass it on to the Minister and he will take necessary action.

श्री राजनारायण : हमें केवल इतना अर्ज करना है कि इसको चाहे एक प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में जरा खयाल करें । हमने एक प्रिविलेज मोशन दिया किसी कंसर्न मंत्री के बारे में । उस कंसर्न मंत्री ने वही जवाब आपको और इस सदन को दिया था और उससे आप सैटिस्फाई हो गये । क्या एनी स्टेज में आपके सामने इस बात की जरूरत भी आई कि आप इस गरीब से भी पूछें, इस गरीब ने जो प्वाइन्ट लिया है, उसके बारे में उसका क्या कहना है । अगर ऐसा नहीं है . . .

श्री सभापति : मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई ।

श्री राजनारायण: जरा सुन लिया जाये । मैं चाहता हूं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था की जाये, जिससे श्रीमन्, आपको इसकी जरूरत महसूस हो ।